<u>न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिविजन)मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी।</u>

उपस्थितः- पिंकी वर्मा (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

जे0ओ0कोड–यू0पी03627

मूलवाद सं0:- 109 सन् 2026

फिरोज अहमद बनाम सुभाशीष विश्वास।

निर्णय

<u>दिनांक–30.05.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष द्वारा सुलहनामा का0सं0–12क1 दाखिल किया गया। पक्षकारों को सुलहनामा का0सं0–12क1 पर सुना गया।

पक्षकारों की ओर से सुलहनामा का0सं0–12क1 प्रस्तुत किया गया तथा सुलहनामा के आधार पर वाद को निस्तारित किये जाने पर बल दिया गया तथा मुख्यतः यह कथन किया गया कि पक्षकारों के मध्य सुलह हो गयी है। अब पक्षकारों के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रह गया है तथा वाद हाजा को सुलहनामें में वर्णित तथ्यों के आधार पर निर्णीत फरमाये जाने की याचना की गयी।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि वादी की ओर से प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री वास्ते बैनामा निरस्तीकरण के अनुतोष हेतु योचित किया गया है।

चूंकि उभयपक्षों के मध्य सुलह हो गयी है और सुलहनामा की शर्तें सुलहनामा का0सं0–12क1 में अंकित हैं। सुलहनामा विधितः ग्राह्य है। अतः सुलहनामा के आधार पर प्रस्तुत वाद को निस्तारित किया जाना उचित होगा।

वादी की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार दीक्षित एवं प्रतिवादी की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री माया प्रकाश त्रिवेदी द्वारा दी जा चुकी है।

सुलहनामा का0सं0–12क1 पक्षकारों को पढ़कर सुनाया एवं समझाया जा चुका है, जिसे पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। सुलहनामा खुले न्यायालय में दिनांक–27.05.2026 को तस्दीक किया जा चुका है।

सुलहनामें के अवलोकन से विदित है कि विवादित बयनामा जिसकी रजिस्ट्री उपनिबंधक कार्यालय गोला गोकरणनाथ, जिला खीरी में बही सं0–1, जिल्द सं0–7204 के पृष्ठ 231 से 270 तक क्रमांक 8673 पर दिनांक 30.08.2019 को किया गया है, को निरस्त करने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। सुलहनामें की शर्तों से स्पष्ट है कि उभयपक्षों के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है, ऐसी स्थिति में सुलहनामे के आधार पर प्रस्तुत वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत वाद सुलहनामा का0सं0–12क1 के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन निर्णीत किया जाता है–

1– यह सुलहनामा का0स0–12क1 केवल वाद के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। किसी तीसरे पक्षकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

2– यदि प्रश्नगत संधिपत्र के अंतर्गत सम्पत्ति का अन्तरण अन्तरवलित होगा औश्र उस अन्तरण पर नियमानुसार कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क अथवा स्टाम्प शुल्क देय होगा, तो प्रश्नगत आदेश उक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क अथवा स्टाम्प शुक्ल नियमानुसार दिये जाने के पश्चात ही प्रभावी समझा जायेगा।

3– वादपत्र में वर्णित विषय वस्तु से भिन्न होने पर उक्त संधिपत्र प्रभावी नहीं होगा तथा सुलहनामा की शर्त यदि किसी वर्तमान विधि के किसी प्रावधान के विपरीत हो तो उस सीमा तक यह सुलहनामा शून्य होगा।

4– उक्त संधिपत्र का0सं0–12क1 का किसी भी न्यायालय की कार्यवाही पर व प्रश्नगत संपत्ति से संबंधित किसी अन्य विवाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5– उक्त संधिपत्र के माध्यम से यदि किसी तृतीय पक्ष का हित प्रभावित होता है तो उक्त संधिपत्र प्रभावी नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि पक्षकारों द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार का तथ्य गोपन किया गया होगा तो उक्त तथ्य के संज्ञान में आते ही प्रश्नगत आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।

सुलहनामा का0सं0–12क1 डिक्री का अंश रहेगा। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे। उक्त सुलहनामा का0सं0–12क1 विधि के उपबन्धों के अधीन प्रभावी होगा।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक –30.05.2026

(पिंकी वर्मा)
सिविल जज (जूनियर डिविजन)
मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके खुले न्यायालय में उच्चारित किया गया।

दिनांक –30.05.2026

(पिंकी वर्मा)
सिविल जज (जूनियर डिविजन)
मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी।

Digitally signed by Pinky Verma
Date: 2026.06.04 15:46:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court